राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांकः– 28.8.19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/
प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव
राजस्थान सरकार,जयपुर
....

विषयः– अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं राजकीय अधिवक्तागण की नियुक्ति नाम सहित किये जाने बाबत।

महोदय/महोदया

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विधि विभाग के द्वारा समय–समय पर जारी यथासंशोधित आदेशों से सभी अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं राजकीय अधिवक्तागण को प्रशासनिक विभागों का आवंटन किया गया है।

यह ध्यान में लाया गया हैं कि प्रशासनिक विभाग एवं विभागाध्यक्ष के द्वारा वाद प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति कर उक्त आदेश में अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं राजकीय अधिवक्तागण से पैरवी का अनुरोध किया जाता हैं किन्तु उक्त नियुक्ति आदेश में संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता या राजकीय अधिवक्ता का नाम अंकित नहीं किया जाता है जिसके कारण लाईटस पर प्रकरणों की एन्ट्री व अपडेशन में कठिनाई होती है तथा अतिरिक्त महाधिवक्तागण एवं राजकीय अधिवक्तागण को पैरवी फीस,व्यय/खर्चे के बिलों को तैयार करने में भी कठिनाई हो रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि आपके विभाग के द्वारा जारी किये जाने वाले वाद प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति आदेश में प्रकरण में पैरवी हेतु संबंधित अतिरिक्त महाधिवक्ता या राजकीय अधिवक्ता का नाम अंकित कराया जाना सुनिश्चित कराया जावे।

ह०
(चंचल मिश्रा)
शासन सचिव,विधि

पत्रावली संख्या प.12(13)/Lites(1)/राज/वाद/2018 जयपुर, दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव माननीय विधि मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. महाधिवक्ता राजस्थान जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त महाधिवक्ता,जयपुर/जोधपुर।
4. राजकीय अधिवक्ता/अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता/उप राजकीय अधिवक्ता/सहायक राजकीय अधिवक्ता जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान।
6. समस्त वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी / सहायक विधि परामर्शी/वरिष्ठ विधि अधिकारी,विधि विभाग।
7. प्रशासक वादकरण जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त जिला कलक्टर।
9. शासन संयुक्त सचिव, न्याय विभाग राजस्थान जयपुर को प्रभावी मानेटरिंग हेतु प्रेषित है।
10. प्रोग्रामर विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. विधि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ।
12. रक्षित पत्रावली।

28/8/2019
(जगमोहन शर्मा)
शासन विशिष्ट सचिव,
विधि (वादकरण) विभाग